

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  
बिल अनुभाग

फाइल नंबर डी-14026/20/2022-23/एडमिन.IV

दिनांक: 31.08.2022

परिपत्र


विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घोषणा पत्र जमा करने के संबंध में।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर गणना उद्देश्य के लिए घोषणा पत्र (फॉर्म संख्या 12बीबी) आईसीएमआर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। आईसीएमआर के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे 30.09.2022 को या उससे पहले बिल अनुभाग को आय/बचत/निवेश के विवरण के साथ विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र भेजें।

निर्धारिती के पास यह चुनने के लिए दो अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं कि क्या वह पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था में गणना करवाना चाहता/चाहती है (कर व्यवस्था का विवरण यहां संलग्न है)।

कर्मचारियों द्वारा किए गए बचत/अंशदान/निवेश की स्व-सत्यापित प्रतियां (घोषणा पत्र में उल्लिखित) 20.01.2023 तक बिल अनुभाग में जमा करने का अनुरोध किया जाता है। यदि 20.01.2023 तक कोई स्व-सत्यापित प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि कोई बचत/निवेश/योगदान नहीं किया गया है और साथ ही घोषित निवेश/बचत पर विचार किए बिना कर की गणना की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-2024) के लिए पुरानी और नई व्यवस्था के अनुसार आयकर स्लैब आपके संदर्भ के लिए आईसीएमआर वेबसाइट पर उपलब्ध है।

  
आहरण एवं वितरण अधिकारी

आई.एस.आर.एम डिवीजन: आपसे अनुरोध है कि कृपया आईसीएमआर की वेबसाइट पर घोषणा पत्र और आयकर स्लैब विवरण अपलोड करें। (यहाँ संलग्न)

कॉपी:

1. आईसीएमआर के सभी प्रभाग/अनुभाग
2. नोटिस बोर्ड, आईसीएमआर

**INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH**  
**BILL SECTION**

File No.D-14026/20/2022-23/Admin.IV  
Dated: 31.08.2022

**CIRCULAR**


**Sub.: Submission of Declaration form for the financial year 2022-23 reg.**

All Officers/Staff are hereby informed that Declaration Form (Form no. 12BB) for Income Tax Calculation purpose for the financial year 2022-23 is made available on ICMR website. All Officers/Staff of ICMR are hereby requested to send duly completed Declaration form with details about Income/Savings/Investments to Bill Section on or before 30.09.2022.

There are two different options available to Assessee to select whether he/she wish to get calculations done in Old Tax Regime or New Tax Regime (details of tax regime are enclosed herewith).

It is requested to submit self-attested copies of savings/contributions/investments made by staff (as mentioned in Declaration form) to Bill Section by 20.01.2023. In case, no self- attested copies are received by 20.01.2023, it will be assumed that no savings/investments/contributions are made and also tax will be calculated without considering Investment/Savings declared.

Income tax slabs as per old and new regime for the Financial Year 2022-23 (Assessment Year 2023-2024) is available on ICMR website for your reference.

  
Drawing & Disbursing Officer

ISRM Division: You are requested to upload the declaration form and Income Tax Slabs details on ICMR website please. (Enclosed herewith)

**Copy to:**

All Divisions/Sections of ICMR  
Notice Board, ICMR